

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोवर्धनलाल

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 43/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सुनारण जारी की गई
	<p>दिनांक : 05.01.2022</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प आमली में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा भूमि विक्रय पत्र से खरीदी है। विक्रय पत्र में ही वादी ने अपना नाम कन्हैयालाल अंकित किया था। अतः बिना विक्रय पत्र शुद्धि के नाम संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होने से वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में कन्हैयालाल पिता सवलाल गुर्जर दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम गोवर्धनलाल पिता सवलाल गुर्जर है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा भूमि विक्रय पत्र से खरीदी है। विक्रय पत्र में ही वादी ने अपना नाम कन्हैयालाल अंकित किया था। अतः बिना विक्रय पत्र शुद्धि के नाम संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होने से वाद को खारिज किये जावे।</p> <p>चूंकि प्रकरण के अवलोकन से वादी द्वारा स्वयं अपने वाद में भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है। विक्रय पत्र के अवलोकन से वादी स्वयं ने अपना नाम कन्हैयालाल दर्ज करवाया था। चूंकि उक्त राजस्व रेकार्ड में नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सही दर्ज हुआ है। नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई है। वादी ने स्वयं अपना नाम विक्रय पत्र में कनीयालाल लिखवाया है इसलिए वादी द्वारा चाही गई दाद इस वाद में पोषणीय नहीं है। वादी चाहे तो विक्रय पत्र में शुद्धि पत्र के माध्यम से नाम संशोधन की कार्यवाही कर सकता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	



मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री गोवर्धनलाल पिता सवलाल गुर्जर निवासी वाडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का आमली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 43/21 (वाद) GCMS No. – 2021/86

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.01.2022 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली